HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

CRIMINAL REVISION No. - 1508 of 2026

Tahir @ Babloo

.....Revisionist(s)

Versus

State Of U.P. And 3 Others

.....Opposite Party(s)

Counsel for Revisionist(s)	:	Baikunth Nath Singh, Santosh Kumar Singh
Counsel for Opposite Party(s)	:	G.A.

Court No. - 87

HON'BLE PRAVEEN KUMAR GIRI, J.

1. Heard Santosh Kumar Singh, learned counsel for the revisionist and Sri Mayank Awasthi, learned State Law Officer for the State.

2. Learned counsel for the revisionist submits that the instant criminal revision has been preferred with the relief which has been mentioned in the prayer clause. The relief mentioned in the prayer clause of the revision is delineated below:-

> *"It is, therefore, most respectfully that this Hon'ble court may graciously be pleased to set aside the order dated 16/12/2025 passed by Principal Judge, Family court, Jhansi in maintenance case no.1448/2025, Smt. Afreen @ Chandani and others Versus Tahir @ Babloo, under section 128 Cr.P.C. (147 BNSS), police station Kotwali, district Jhansi and allow the revision.*
> *It is further prayed that this Hon'ble court may graciously be pleased to release the revisionist on bail in maintenance case no.1448/2025, Smt. Afreen @ Chandani and others Versus Tahir @Babloo, under section 125(3)/235/248/325/360/361 Cr.P.C., police station Kotwali, district Jhansi during pendency of present criminal revision before this Hon'ble court and/or may pass such other and further order which this Hon'ble court may deem fit and proper in the circumstances of the case."*

3. Learned counsel for the revisionist submits that the revisionist is in jail since 03.12.2025 subsequent upon execution of recovery warrant/arrest warrant and the same has been mentioned in the impugned order dated 16.12.2025

passed in application under Section 125 Cr.P.C. while as per Section 125(3) Cr.P.C. imprisonment for a term which may be extended to one month or until payment if sooner made, thus, for the maintenance or the interim maintenance and expenses of proceeding as the case may be, remained unpaid for execution of the warrant. Order dated 16.12.2025 is delineated below :-

न्यायालय प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, झांसी।

भरण पोषण वाद सं० 1448/2025

श्रीमती आफरीन उर्फ चांदनी आदि बनाम ताहिर उर्फ बब्लू

अं० धारा 128 द०प्र०सं०/
147 बीएनएसएस
थाना कोतवाली, झांसी।

दिनांक 16.12.2025

प्रस्तुत वाद आवेदिका श्रीमती आफरीन बानो उर्फ चांदनी ने वाद सं० 1233/2023 श्रीमती आफरीन आदि बनाम ताहिर उर्फ बब्लू अं० धारा 125 द०प्र०सं० में पारित निर्णय व आदेश दिनांकित 28.07.2025 के अनुपालन हेतु प्रस्तुत वाद दिनांक 26.09.2025 को दिनांक 01.11.2023 से दिनांक 01.09.2025 तक 22 माह की भरण पोषण की धनराशि 264000/रू० की वसूली हेतु प्रस्तुत किया है। विपक्षी को नोटिस प्रेषित किया गया। विपक्षी नोटिस की तमीला के पश्चात न तो उपस्थित हुआ और न ही भरण पोषण की धनराशि अदा किया, जिसके कारण विपक्षी के विरूद्ध वसूली व गिरफ्तारी वारण्ट जारी किये जाने का आदेश पारित किया गया। जिसके अनुपालन में विपक्षी के विरूद्ध वसूली / गिरफ्तारी वारण्ट निर्गत किया गया, जिसके अनुपालन में दिनांक 03.12.2025 को थाना उरई, जिला जालौन की पुलिस विपक्षी को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया। विपक्षी से भरण पोषण की धनराशि जमा करने के सम्बन्ध में विपक्षी से पूंछा गया तो विपक्षी ने धनराशि जमा करने से इन्कार किया। उपरोक्त परिस्थितियों में विपक्षी ताहिर उर्फ बब्लू को आवेदिका के भरण पोषण की 22 माह की धनराशि अदा करने में 22 माह का व्यतिक्रम करने पर

दोषसिद्ध किये जाने योग्य है। तदनुसार विपक्षी ताहिर उर्फ बब्लू को आवेदिका के को भरण पोषण अदा करने के व्यतिक्रम करने पर दोषसिद्ध जाता है। सजा के बिन्दु पर सुनवाई हेतु भोजनावकाश के पश्चात पेश हो।

प्रधान न्यायाधीश

पारिवारिक न्यायालय,

झांसी।

सजा के बिन्दु पर सुनवाई हेतु पत्रावली भोजनावकाश के पश्चात पेश हुई। विपक्षी को सजा के बिन्दु पर सुना गया। विपक्षी ने कथन किया कि वह गरीब व्यक्ति है। वह उक्त धनराशि अदा करने में अक्षम है। विपक्षी ने कम से कम सजा से दण्डित किये जाने की याचना की।

भरण पोषण धनराशि के व्यतिक्रम की स्थिति में दिये जाने वाले दण्डादेश के सम्बन्ध में धारा 125 (3) द०प्र०सं० की व्याख्या करते हुए माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी०बी० क्रिमिनल रेफरेंस सं० 02/2020 में पारित निर्णय दिनांकित 03.12.2021 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की विधि व्यवस्थाओं-

1-गोरक्षनाथ खाण्डू बागल बनाम महाराष्ट्र राज्य 2005 सीआरएलजे 3158

2-बादशाह बनाम उर्मिला बादशाह गोडसे व अन्य एआईआर *2014* एससी *869,*

3-शान्था व अन्य बनाम बी०जी० शिवनन्जप्पा एआईआर *2005* एससी *2410,*

4-कृष्ण कुमार व अन्य बनाम भारत सरकार व अन्य एआईआर *1990 (3)* एससी *154* व माननीय उच्चतम न्यायालय की अन्य *8* विधिव्यवस्थाओं को उद्धृत करते हुए यह अवधारित किया है कि धारा *125 (3)* द०प्र०सं० में प्रत्येक माह के भरण पोषण के व्यतिक्रम करने पर एक माह के सजा का प्रावधान है। यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक माह के व्यतिक्रम के लिए बार-बार, एक-एक माह के लिए वसूली प्रार्थनापत्र आपेक्षित नहीं है। यदि याची द्वारा समेकित प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर कई माह के लिए भरण पोषण वसूली हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत है उस स्थिति में भी *12* माह के भरण पोषण के आवेदन पर एक साथ *12* माह के भरण पोषण के व्यतिक्रम करने पर *12* माह की सजा का आदेश पारित किया जा सकता है। यहां पर यह भी उल्लिखित किया जाना उपयुक्त है कि

माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था रजनेश बनाम नेहा में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुक्रम में धारा *125* द०प्र०सं० में निर्णय पारित करते समय आवेदनपत्र प्रस्तुत करने के दिनांक से भरण पोषण दिलाये जाने हेतु आदेश पारित करने हेतु निर्देशित किया गया है, जिसके कारण धारा *125* द०प्र०सं० में पारित निर्णय के एक वर्ष के अन्दर प्रस्तुत प्रार्थनापत्र में *12* माह से अधिक की धनराशि की वसूली हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।
अतः विपक्षी द्वारा इस वाद में आवेदिका द्वारा दिनांक *01.11.2023*से दिनांक *01.09.2025* तक *22* माह की धनराशि अदा करने में व्यतिक्रम करने के कारण विपक्षी ताहिर उर्फ बब्लू को धारा *125 (3)* द०प्र०सं० एवं द०प्र०सं० की धारा *235, 248, 325, 360* व *361* के अन्तर्गत *22* माह के कारावास की सजा से दण्डित किया जाता है। विपक्षी को कारावास की सजा भुगतने हेतु जिला कारावास भेजा जाय। विपक्षी द्वारा उक्त धनराशि जमा करने पर विपक्षी को रिहा कर दिया जायेगा। विपक्षी द्वारा कारावास में व्यतीत की गयी अवधि इस आदेशित सजा की अवधि में समायोजित की जायेगी। आवेदिका वसूल योग्य विपक्षी की सम्पत्ति का विवरण प्रस्तुत करे।

पत्रावली नियत दिनांक *12.01.26* को अग्रिम आदेश हेतु पेश हो।

प्रधान न्यायाधीश,
पारिवारिक न्यायालय,
झांसी।

4. He further submits that in case the revisionist is not making payment, the court may send him to civil prison only for one month and thereafter his property should be attached for recovery of the amount, therefore, he cannot be sent to jail for more than one month, therefore, the impugned order is contrary to the provisions of Section 125(3) Cr.P.C. Section 125(3) Cr.P.C. is being delineated below for ready reference :-

"Section 125. Order for maintenance of wives, children and parents.

(3) If any person so ordered fails without sufficient cause to comply with the order, any such Magistrate may, for every breach of the order, issue a warrant for levying the amount due in the manner provided for levying fines, and may sentence such person, for the whole, or any port of each month's allowance allowance for the maintenance or the interim maintenance and expenses of proceeding, as the case may be remaining unpaid after the execution of the warrant,

to imprisonment for a term which may extend to one month or until payment if sooner made."

5. Issue notice to O.P. No.2 returnable at early date through concerned Chief Judicial Magistrate. Steps be taken within three days.

6. Four weeks' time is granted to the opposite parties for filing counter affidavit. Two weeks thereafter will be available to the learned counsel for the revisionist for filing rejoinder affidavit.

7. Considering the facts and circumstances of the case, the revisionist Tahir @ Babloo, who is in jail in connection with Maintenance Case no.1448 of 2025 under section 128 Cr.P.C. (Section 147 BNSS) is granted bail and as he is in civil prison, there is no need for furnishing bail bond and sureties and he shall be released forthwith.

8. The Registrar (Compliance) is directed to communicate this order to the Jail Superintendent, District Jail, Jhansi or any concerned officer for releasing the revisionist Tahir @ Babloo forthwith.

9. The Principal Judge, Family Court, Jhansi is also directed to communicate this order to the concerned jail authority immediately for releasing the revisionist forthwith without taking any bail bond or surety, as the revisionist is under civil prison for non-payment of the maintenance amount.

10. List this case on 18.05.2026 as fresh.

11. It is made clear that there is no need for obtaining certified copy of this order for release of the revisionist from jail immediately/forthwith and photocopy of this order shall be verified by the concerned jail authorities or any other authority from the uploaded copy of this order on the official website of this Court.

April 2, 2026
Manish Himwan

(Praveen Kumar Giri,J.)

Digitally signed by :-
MANISH HIMWAN
High Court of Judicature at Allahabad